न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

अनुसूची-14 फारम - 562

हेमलाल पंडित .... प्रथम पक्ष

बनाम

अकुल पंडित व०औ० .... द्वितीय पक्ष

वाद संख्या ....144/21.... धारा ....144.... द०प्र०सं०

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं० क० ता० ....14/7/21.... से ....18/09/21.... तक

जिला .... सं० .... सन 20 ....

केस का प्रकार ....

आदेश की क्रम सं० और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
14/07/21	आवेदक/आवेदिका ....हेमलाल पंडित.... पिता/पति ....स्व० केवाल पंडित.... ग्राम ....बुन्दा.... थाना ....बिरनी.... जिला ....गिरिडीह.... द्वारा द०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा ....बुन्दा.... खाता सं० ....18.... प्लॉट संख्या ....954.... रकवा ....25 डी० पश्चिम 09.... चौहद्दी: उ०- ....पुनेश्वर पंडित.... द०- ....रास्ता.... पू०- ....पेटो साव वो संतोषि साव.... प०- ....गा लो पंडित वो हेमलाल पंडित.... भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी ....बिरनी..../थाना प्रभारी ....बिरनी.... से माँगें। अभिलेख दिनांक ....24.07.21.... को उपस्थापित करें। [हस्ताक्षर] 14/7 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया।	219/21 14/07/21
24/07/21	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी बिरनी से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख 28/08/21 को रखें। [हस्ताक्षर] अनु० दण्डा० बगोदर-सरिया	

16/08/21 अभिलेख उपस्थापित।

मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी......बिरनी......के पत्रांक...715... दिनांक...07.08.21......के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादाग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक ...02.09.21......को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बगोदर-सरिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बगोदर-सरिया।

02/09/21 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित।
उभय पक्ष कारण पृच्छा दाखिल करें। अभिलेख 16/9/21 को उपस्थापित करें।

2/9/21

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15/09/21	उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख 18/09/21 को रखें। (हस्ताक्षर) अनु० पदा०	
18/09/21	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत वाद आवेदक के आवेदन पर अंचल अधिकारी बिरनी के प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। आवेदक (प्रथम पक्ष) के अनुसार प्रश्नगत भूमि उनकी खतियानी भूमि है जिसकी जमाबंदी इलो कुम्हार के नाम से चल रही है। खतियान में व कब्जे सभी हिस्सेदारों का हिस्सा अंकित है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण बंटवारा को भंग करते हुये प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में सरकारी राजस्व रसीद की छायाप्रति, खतियान की छायाप्रति दाखिल किया गया है। (हस्ताक्षर)	

(4)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। कारण पृच्छा के अनुसार खतियान के अनुसार प्रथम पक्ष का हिस्सा ~~होते~~ 0.93 डी. बनता है तथा द्वितीय पक्ष अकल पंडित का हिस्सा 2.77 डी. बनता है। आपने हिस्से की जमीन पर द्वितीय पक्ष का मकान एवं चाहरदिवारी बना हुआ है। अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अनुसार प्लाट सं0-954 में तीन हिस्सा होता है जो प्रति हिस्सा 9 डी. होता है, परन्तु द्वितीय पक्ष अकल पंडित द्वारा 13 डी. जमीन पर चाहरदिवारी बना लिया है, जो विवाद का कारण है। उभय पक्ष के दलील, दाखिल दस्तावेज एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नागत वाद का कारण आपसी बंटवारा है जिसका निष्पादन द. प्र. स. के अंतर्गत नहीं हो सकता है। अतः निषेधाज्ञा को समाप्त करते हुये उभय पक्ष	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	को सक्षम न्यायालय में जाने की सलाह दी जाती है। उक्त विवेचन के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। [signature] 18/11/21 SDM.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.04.18 15:30:40 +05:30
Location: 192.168.1.5